भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1021

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2024

सोमवार, 7 श्रावण, 1946 (शक)

व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी कार्यक्रम

1021. श्री राजीव राय:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आंकड़ों के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी (वीटीटी) कार्यक्रम प्राप्त कर रहे 14-60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के कम प्रतिशत के कारणों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में नियोजनीयता अंतर को दूर करने और श्रम उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए वीटीटी कार्यक्रम की प्रभावकारिता और पहुंच में सुधार करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश राज्य के मऊ और बलिया जिलों में कोई वीटीटी कार्यक्रम चल रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, 15-59 वर्ष आयु वर्ग के उन व्यक्तियों का प्रतिशत जिन्होंने व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया, 27.4% था, जिसमें औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 3.8% शामिल हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण के लाभों के बारे में जागरूकता की कमी और इसके कम आकांक्षात्मक मूल्य व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कम भागीदारी के महत्वपूर्ण कारणों में से हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) का उद्देश्य कौशलीकरण, पुनर्कौशलीकरण और कौशलोन्नयन में वृद्धि करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ-साथ हमारे युवा बड़ी संख्या में आने वाले अवसरों के लिए तैयार रहें। सिम का उद्देश्य हमारे युवाओं को भविष्य के लिए तैयार और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्रदान करना है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार, कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य रोजगार संबंधी अंतर को दूर करने और श्रम उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से यह स्कीम शुरू की गई है।

नियोजनीयता आवश्यकताओं को पूरा करने और श्रम उत्पादकता में वृद्धि के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार-मांग को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में इंडस्ट्री लीडर्स के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं को चिन्हित करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।
ii. उद्योग 4.0 की आवश्यकता अनुरूप भविष्य के लिए तैयार जॉब रोलों, ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों को पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्राथमिकता दी गई है। सीटीएस के तहत भी, उभरती प्रौद्योगिकियों में भावी जॉब रोलो की मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक युग के पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।
iii. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियमन और मानक स्थापित करने वाले एक व्यापक नियामक के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना की गई है।
iv. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग - मांग के अनुसार अर्हताएं विकसित करें और उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार अभिनिर्धारित किए गए व्यवसायों के साथ चिन्हित तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।
v. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) लचीली समझौता ज्ञापन स्कीम तथा प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को कार्यान्वित कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य औद्योगिक वातावरण में आईटीआई छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।
vi. राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) संरेखित पाठ्यक्रमों में कार्यालयीन प्रशिक्षण (ओजेटी) और रोजगार कौशल के घटक भी शामिल हैं।
vii. डीजीटी ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क (पूर्ववर्ती क्वेस्ट अलायंस), अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

viii. बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत एनएसडीसी उन प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग-मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को संरेखित करने में सहयोग करते हैं।

ix. एनएपीएस के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण और शिक्षुता कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ संबद्धता को बढ़ावा दिया जाता है।

x. भारत सरकार ने इन देशों में मांग के साथ कौशल को संरेखित करने के लिए दस देशों अर्थात यू.के., फ्रांस, जर्मनी, इजरायल, ताइवान, ऑस्ट्रिया, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और फिनलैंड के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

xi. भारत सरकार ने विदेशों में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए 30 कुशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।

(ङ) और (च) एमएसडीई की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के मऊ और बलिया जिलों में प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

जिला	**पीएमकेवीवाई केंद्र**	**आईटीआई (सरकारी और निजी)**	**एनएपीएस***	**जेएसएस**
मऊ	30	86	92	1
बलिया	25	85	66	1

*एनएपीएस के अंतर्गत प्रतिष्ठान।

*****